न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 113/2022

1 महेश कुमार शर्मा उम्र 28 वर्ष पुत्र श्री लोकनाथ शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मौल्यासी तहसील धोद जिला सीकर (राज.)।

अपीलांट

वनाम

1 लूणाराम पुत्र नारायणराम जाति कुमावत
2 हनुमान पुत्र स्व. चुन्नीलाल जाति कुमावत
3 महावीर पुत्र स्व. चुन्नीलाल जाति कुमावत
4 रामावतार पुत्र स्व. चुन्नीलाल जाति कुमावत
5 भंवरी देवी पुत्री स्व. चुन्नीलाल जाति कुमावत
6 सोहनी देवी पुत्री स्व. चुन्नीलाल जाति कुमावत
7 तुलछी पुत्री स्व. चुन्नीलाल जाति कुमावत
8 गोमती देवी पत्नी स्व. सांवरमल जाति जाट
9 सुभिता पुत्री स्व. सांवरमल जाति जाट
10 लालचन्द पुत्र स्व. सांवरमल जाति जाट
11 दीनदयाल पुत्र स्व. सांवरमल जाति जाट
12 बिमला पत्नी स्व. नवरतन जाति ब्राह्मण
13 कमल पुत्र स्व. नवरतन जाति ब्राह्मण
14 मुकेश पुत्र स्व. नवरतन जाति ब्राह्मण
15 लोकनाथ पुत्र स्व. पोखर जाति ब्राह्मण
16 मोतीलाल पुत्र स्व पोखर जाति ब्राह्मण

समस्त निवासीगण ग्राम मौल्यासी तहसील धोद जिला सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 नन्दकिशोर पुत्र श्री किशनलाल निवासी राजगांगपुर खारा गली सुन्दरगढ़ वार्ड नम्बर 03 उड़ीसा

18 किशोर कुमार किशनलाल केयर ऑफ भगवानदास किशनलाल मु. मोहल्डिहा पोस्ट रायरंगपुर जिला मयुरगंज उड़ीसा

19 रीना देवी पुत्री किशनलाल पत्नी बलबीर निवासी रूल्याणी माली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

20 रंजना देवी पुत्री किशनलाल पत्नी सौरभ शर्मा निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास लोसल जिला सीकर

21 अंजना देवी पुत्री किशनलाल पत्नी विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी केयर ऑफ राकेश कुमार शर्मा निवासी तेल मिल गली हिस्सा मोड रातुरोड सी.ओ. अनेकशरीह बैंक कॉलोनी, रीशकाशोद रांची (झारखण्ड)

22 गोमी देवी पत्नी लोकनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मौल्यासी तहसील धोद जिला सीकर।

23 नाथूराम पुत्र नारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम मौल्यासी तहसील धोद जिला सीकर।

24 तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.10.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माहोदय धोद जिला सीकर आवेदन अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.नं. 91/2019 (पुराना नम्बर– 10/2017 व 46/2016) बउनवानी लूणाराम बनाम चुन्नीलाल आदि जिसके तहत रेस्पोडेन्टस संख्या–01 का आवेदन स्वीकार किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री कैलाश सोनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 11.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 91/2019 (पु.नं.—10/2017 व 46/2016) में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने धारा 251ए का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम मौल्यासी तहसील धोद में अवस्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 89 के लिए खसरा नम्बर 427, 83, 84 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय सें आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1/1 मोहनी पत्नी स्व. चुन्नीलाल का दिनांक 21.09.2020 को स्वर्गवास हो चुका था जिसके कायम मुकामान की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा नहीं की गई इसलिए चुनौतीग्रस्त निर्णय एक मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलांट द्वारा मौके की वास्तविक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष लाये जाने हेतु आपति कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 07.09.2022 एवं दिनांक 10.10.2022 को मय नक्शा प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर बहस सुनकर विचारण न्यायालय के पीठासीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी द्वारा मौका देखने के आदेश पारित किये गये थे तथा उक्त आवेदनों पर सही या गलत होने का पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। परन्तु पीठासीन अधिकारी मौका देखने की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई तथा ना ही पृथक से मौका की कोई फर्द बनाई गई केवल मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 को सही मानकर मूल आवेदन का ही निस्तारण कर दिया तथा इस प्रकार विचारण न्यायालय ने प्रक्रिया का दुरूपयोग कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश पारित किया है। जिसके कारण अपीलांट को आपति मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर पारित निर्णयों की आगामी कार्यवाहियों का अथवा निगरानी के अधिकार का नुकसान हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा बताया गया कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है वरन वहां अपीलांट के पुख्ता मकान बने हुए है तथा फसल की हुई है जो तहसीलदार की रिपोर्ट में भी स्पष्ट हे परंतु विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने उक्त तथ्य एवं मकानों को भी नजर अंदाज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय भावना के आधार पर यह कहकर पारित किया गया है कि रास्ते की मांग वर्ष 2013 से की जा रही है जो स्थिति कानून सम्मत नहीं होने से निर्णय अपास्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का गुणावगुण पर निस्तारण किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1/1 के विधिक वारिसान पूर्व से रिकार्ड पर है। अतः इस आधार पर अपीलांट कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के पास दिये गये रास्ते के अलावा निकटतम अथवा वैकल्पिक रास्ता होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का गुणावगुण पर निस्तारण किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1/1 के विधिक वारिसान पूर्व से रिकार्ड पर है। अतः इस आधार पर अपीलांट कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के पास दिये गये रास्ते के अलावा निकटतम अथवा वैकल्पिक रास्ता होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर